राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका.)विभाग

कमांक : प.6(11)का/क–3/शि/2008 जयपुर, दिनांक : 25 SEP 2008

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलक्टर ।

परिपत्र

लोकायुक्त सचिवालय में लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों/अन्य शिकायतों पर लोकायुक्त सचिवालय द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 6(6)कार्मिक/क–3/82 दिनांक–19. जुलाई, 2000 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया था कि जब भी लोकायुक्त सचिवालय द्वारा लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतों पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहे जावें तो उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाये जावें।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाने में अनावश्यक एवं अत्यधिक विलम्ब किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रकरण विशेष में अनेकों बार स्मरण करवाये जाने के बावजूद संबंधित विभागाध्यक्ष न तो वांछित सूचना ही समय पर भिजवाते हैं और न ही जारी सम्मन के अनुपालन में स्वयं मा0 लोकायुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होते हैं जिसे लोकायुक्त महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है ।

अतः पुनः सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर यह अपेक्षा की जाती है कि लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त शिकायतों पर लोकायुक्त सचिवालय द्वारा चाहे गये तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिना विलम्ब के लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाये जावें ।

समस्त प्रशासनिक सचिवों से यह भी अपेक्षा है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में गठित निगमों, कार्पोरेशनों, मण्डलों आदि को निर्देशित करें कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रेषित मामलों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को तुरन्त उपलब्ध कराए जावें ।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :
1- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2- रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव